



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/मंत्रा/स्था-पद/2018/761 जयपुर दिनांक: 08/03/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद भीलवाडा।

विषय:- कार्मिको के स्थानान्तरण/पदस्थापन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपकी अधीन कार्यरत निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुये तत्काल आदेश जारी कर पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	कहां से	कहां को
1	तनसुख कोली, वरिष्ठ सहायक	पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा	पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाडा।

नोट :-

1. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिको का संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान कर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है, तो उक्त आदेश संबंधित कार्मिक पर प्रभावी नहीं होंगे।
3. उक्त आदेश परीवीक्षाधीन कार्मिको पर प्रभावी नहीं होंगे।
4. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है, तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें।

(सुनील शर्मा 8/3/2019)
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने बाबत।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित
5. संबंधित कार्मिक, द्वारा संबंधित पंचायत समिति।
6. रक्षित पत्रावली।

(सुनील शर्मा 8/3/2019)
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त